

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13

संख्या - 2056 /सिंचाई-13-2016-2/16टीसी

लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2017

कार्यालय आदेश

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा 2011 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी धर्ती के रिक्त पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल सहायक अभियन्ता (सिविल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर वृत्त बँड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखते हुये अस्थायी रूप से उन्हें उक्त पद पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा उन्हें निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित उपखण्ड/खण्ड में तैनात करते हैं:-

क्र०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि/गृह जनपद	नियुक्ति हेतु पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4
		सर्वश्री	
1	7249	राजीव कुमार/राम सुन्दर महतो 25.12.1977/पूर्वी चम्पारन (बिहार)	अनुसंधान नियोजन (बाढ़) मण्डल, यूनिट-10, लखनऊ
2	2721	बीना दयाल/ दीन दयाल 28.12.1988/ हरदोई	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड-3, लखनऊ
3	1839	अनिल कुमार यादव/कमला प्रसाद यादव, 03.08.1981/आजमगढ़	बाढ़ कार्य खण्ड, इलाहाबाद
4	5304	करमवीर सिंह/वेद प्रकाश 01.01.1986/औरैया	सिंचाई नियंत्रण कक्षा, लखनऊ

2- उक्त नवचयनित सहायक अभियन्ताओं को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

3- यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ बिना कोई कारण बताएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

4- उक्त अभ्यर्थियों को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

5- अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

6- उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

7- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित मण्डल/खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उसके मूल प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण

श्री वर्मा,

17-11-17

17-11-17

503/2 (अ-2)

12  
अभियन्ता  
23/11

युक्तियों के साथ शासन तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यभार प्रभापक सहित कुल्लु प्रेषित करेंगे:-


- (1) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण पत्र।
- (2) अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
- (3) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थियों के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

सुरेश चन्द्र,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-2056 (1)सत्ताईस-13-2016 तद्विनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-485/9/ई-3/2011-12, दिनांक 07.09.2016 एवं पत्र संख्या-513/09/ई/2011-2012 दिनांक 27.10.2016 के संदर्भ में।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पंजीकृत डाक से)
7. कार्मिक अनुभाग-4 ।
8. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अनुभाग-1
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(ओ०पी०सिंह)  
अनु सचिव।